न्यायालय–यशोदा नाग, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

दां0प्र0क्र0–1695/2022
अपराध क्रमांक–96/2022
संस्थित दि0–06.11.2022

छ0ग0 राज्य द्वारा,
आबकारी वृत्त डोंगरगढ़
जिला–राजनांदगांव (छ0ग0) ––– **अभियोजन**

// **विरूद्ध** //

तामेश्वर नेताम पिता–देवलाल नेताम, उम्र–32 वर्ष,
निवासी ग्राम मोहनपुर थाना बागनदी
जिला–राजनांदगांव (छ0ग0) ––– **अभियुक्त**

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 17/02/2023 को घोषित)

---

01. अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 20.10.2022 को समय लगभग 09.00 बजे स्थान ग्राम मोहनपुर, थाना बागनदी जिला–राजनांदगांव (छ0ग0) क्षेत्रांतर्गत में अपने आधिपत्य में बिना किसी अनुज्ञप्ति के 50 पौवा देशी दारू संत्री 5000 महाराष्ट्र राज्य निर्मित, प्रत्येक पौवा में 180 एम0एल0 **कुल जुमला 9.000 बल्क लीटर** को अवैध रूप से विक्रय के प्रयोजन हेतु रखा।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.10.2022 को आबकारी वृत्त डोंगरगढ़ को भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना मिलने पर अभियुक्त के कब्जे से 50 पौवा देशी दारू संत्री 5000 महाराष्ट्र राज्य निर्मित, प्रत्येक पौवा में 180 एम0एल0 कुल जुमला 9.000 बल्क लीटर गवाहों के समक्ष जप्त किया था। अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अपराध सबूत

पाए जाने पर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत् आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध किये जाने से इंकार किये । धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

05. प्रकरण में निराकरण के लिये मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि :–

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.10.2022 को समय लगभग 09.00 बजे स्थान ग्राम मोहनपुर, थाना बागनदी जिला–राजनांदगांव (छ0ग0) क्षेत्रांतर्गत में अपने आधिपत्य में बिना किसी अनुज्ञप्ति के 50 पौवा देशी दारू संत्री 5000 महाराष्ट्र राज्य निर्मित, प्रत्येक पौवा में 180 एम0एल0 कुल जुमला 9.000 बल्क लीटर को अवैध रूप से विक्रय के प्रयोजन हेतु रखा ?''

–: विवेचन एवं निष्कर्ष :–
विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष :–

06. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षी गौतम कुमार मरकाम (अ0सा0 1), दिनेश कुमार मरकाम (अ0सा0 2) एवं आबकारी उपनिरीक्षक सी.पी. सिंह (अ0सा0 3) का परीक्षण कराया गया है।

07. सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि क्या प्रश्नगत द्रव्य देशी दारू संत्री 5000 अभियुक्त के आधिपत्य या स्वामित्व से जप्त किया गया है ? इस संबंध में आबकारी उपनिरीक्षक सी0पी0 सिंह (अ0सा0 03) ने अपने साक्ष्य में घटना के संबंध में की गई संपूर्ण विवेचना की कार्यवाही को बताया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामा एवं अन्य समस्त कार्यवाहियों में अपने स्टॉफ का सहयोग नहीं लिया है। यह कहना

सही है कि उसके द्वारा तथाकथित मकान अभियुक्त के आधिपत्य में था, ऐसा हल्का पटवारी से नक्शा अथवा पंचनामा नहीं लिया था। यह भी स्वीकार किया है साईक्स टेबल की प्रति अभियोग पत्र के साथ संलग्न नहीं किया है। यह भी स्वीकार किया है कि जप्त शराब आरोपी से जप्त किया है, इस संबंध में शराब जप्ती के पश्चात जो सीलबंद किया था उस सील पर अभियुक्त का हस्ताक्षर नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि परीक्षण के लिए प्रयोग में लाये गये पात्रों का विवरण प्रतिवेदन में नहीं दर्शाया है।

08. प्रकरण में जप्ती एवं गिरफ्तारी के स्वतंत्र साक्षी गौतम कुमार मरकाम (अ0सा0 1) एवं दिनेश कुमार मरकाम (अ0सा0 2) का अभिसाक्ष्य है कि उनके समक्ष पुलिस वाले अभियुक्त से कोई जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं किये थे। परंतु मुखबीर सूचना पंचनामा प्र0पी0 1, गवाह बनने हेतु नोटिस प्र0पी0 2, जामा तलाशी पंचनामा प्र0पी0 3, तलाशी पंचनामा प्र0पी0 4, मदिरा परीक्षण पंचनामा प्र0पी0 5, जप्ती पत्रक पंचनामा प्र0पी0 6, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 7, घटना स्थल का मौका नक्शा प्र0पी0 8, मकान/होटल आधिपत्य पंचनामा प्र0पी0 9, जामा तलाशी पश्चात पंचनामा प्र0पी0 10 पर उनके हस्ताक्षर है। जप्ती के स्वतंत्र साक्षी गौतम कुमार मरकाम (अ0सा0 1) एवं दिनेश कुमार मरकाम (अ0सा0 2) द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। जप्ती साक्षियों द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं करने तथा अभियुक्त के कब्जे से प्रश्नगत शराब की जप्ती प्रमाणित नहीं होने के कारण अभियोजन का यह प्रकरण संदेह की परिधि में आ जाता है।

09. उपरोक्तानुसार अभियोजन अपने द्वारा पेश अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को जप्त शराब अभियुक्त के आधिपत्य या स्वामित्व से जप्त किया गया है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक एवं स्थान पर 50 पौवा देशी दारू संत्री 5000 महाराष्ट्र राज्य निर्मित, प्रत्येक पौवा में 180 एम0एल0 कुल जुमला 9.000 बल्क लीटर को बिक्री हेतु अवैध रूप से अपने आधिपत्य में

रखे पाये गये। अस्तु अभियुक्त **तामेश्वर नेताम** को **आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)** के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

10. अभियुक्त का जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाता है।

11. प्रकरण में संलग्न कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव का ज्ञापन दिनॉक 04.11.2022 के अनुसार प्रकरण में जप्त शराब का राजसात किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण में जप्त शराब का निराकरण कलेक्टर राजनांदगांव के निर्देशानुसार किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित

सही/–
(यशोदा नाग)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डोंगरगढ़
जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/–
(यशोदा नाग)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डोंगरगढ़
जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

YASHODA NAG
Digitally signed by YASHODA NAG